न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 03/2018

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीया :–
1 पन्नालाल 2 जवरीलाल 3 पारसमल पि0 पुखराज जातियान माली निवासीगण सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला–पाली।		1 कमलादेवी पत्नि जवरीलाल जाति माली (पालरिया) नरसिंह कॉलोनी, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण ।

–: निर्णय :– दिनाँक – 26.10.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा बासनी तिलवाड़िया पटवार हल्का आलावास तहसील सोजत की जोत में नया मार्ग खातेदारी खसरा नम्बर 360 रकबा 2.2200 हैक्टर में आवागमन हेतु नया रास्ता दिलवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 360 रकबा 2.2200 हैक्टर सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया पटवार हल्का आलावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा मौके पर स्थित है, जो ख0सं0 315 की तरफ है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि के ख0नं0 360 में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 359 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में जो लाल रंग से दर्शित किया गया है, उस रास्ते को कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 360 में पहूँच हेतु अन्य कोई विकल्पेन रास्ता नही है तथा मुख्य सड़क ख0सं0 358 से निकटतम रास्ता प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में काश्त करने में असुविधा उत्पन्न होती है। प्रार्थीगण रास्ते के एवज में अप्रार्थी को नियमानुसार राशि उपलब्ध करानें को तैयार है। प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित लाल रंग से दर्शित भूमि ख0नं0 359 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को ख0सं0 360 तक आवागमन हेतु दिलाये जाने तथा रास्ते को राजस्व रेकर्ड व राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते जवाब तलब किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता अप्रार्थीया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी तिलवाडीया के ख0नं0 360 रकबा 2.2200 है0 होना बताया गया है, जो सरासर गलत है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के अकेले के खातेदारी कब्जा काश्त की कतई नही है। उसमे 1/2 हिस्से के खातेदार बहादुरसिंह, जोरसिंह पि0 भूरसिंह, रूप कंवर पत्नि चैनसिंह कमला कंवर पत्नि जेठुसिंह, गुड्डी कंवर, प्रकाश कंवर पुत्रीयां जेठुसिंह कौम राजपूत है, उनको पक्षकार नही बनाया गया है। प्रार्थीगण ने यह नही बताया गया है कि उनके 1/2 हिस्से की कृषि भूमि किस तरफ स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि सामलाती खातेदारी दर्ज सुदा है तथा पक्षकारान के मध्य बंटवाड़ा किया हुआ है या नही, स्पष्ट नही है, न ही सह खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी अपने आपमें संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि में अपने बंट व हिस्से का निर्धारण नही कर सकता है तथा सह खातेदार पक्षकार भी नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र कतई चलने लायक नही है। प्रार्थीगण द्वारा बताये गये तथाकथित ख0नं0 360 में आवागमन सोजत से रेन्दड़ी ग्राम जाने वाली मुख्य डामर सडक से ख0नं0 314 से आवागमन हो रहा है तथा मौके पर उक्त रास्ता चालू हालत में है, जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण लगातार करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन का रास्ता विकल्प में स्थित है। ऐसी स्थिति में ओर अलग से रास्ते की मांग कतई नही की जा सकती है एवं नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण ग्राम रेन्दड़ी जाने वाली मुख्य डामरीकृत सडक से ख0नं0 314 से होकर ख0नं0 360 से आमागमन लगातार वर्षो से करते आ रहे है, जिससे कभी भी असुविधा नही हुई है। उक्त रास्ते से आवागमन कर उक्त कृभि भूमि में लगी मेहन्दी की फसल की अवेराई कटाई प्रतिवर्ष करते आ रहे है। मात्र अपनी सुविधा को बढाने एवं अपनी कृषि भूमि की किमत बढाने की नियत से अलग से रास्ता की मांग की गयी है। प्रार्थीगण ख0नं0 359 में से होकर कतई नया रास्ता कायम करवाने के अधिकारी नही है। प्रार्थी प्रतिवर्ष अपने खातेदारी की कृषि भूमि में खड़ी फसल की अवेराई, कटाई, लटाई हेतु आता रहता है। कोई रास्ता अवरूद्व या बन्द नही है। अब मात्र अपनी खातेदारी कृषि भूमि की बाजारू किमत को बढाने की नियत से विकल्प में आवागमन का रास्ता होते हुए भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी कतई नया रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नही है। इस प्रकार जबाब प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र को खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

तहसीलदार, सोजत से पत्रांक/कोर्ट/2019/392–393 दिनांक 14.06.2019, 492–493 दिनांक 17.07.2019, 744–45 दिनांक 30.09.2019 तथा 927 दिनांक 19.12.2019 द्वारा प्रार्थित रास्ते की मौके जांच पश्चात् वांछित बिन्दुओ पर रिपोर्ट बरूवे मौका रूवरू उभयपक्षों चाही गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2020/500 दिनांक 07.08.2020 को जरिए मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा जमाबंदी आदि पेश की सा0मि0 है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार, सोजत से मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति अनुसार प्रार्थी पन्नालाल

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

वगैरह द्वारा ख0नं0 360 में जाने हेतु ख0नं0 359 में से कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए निर्धारित नियमानुसार रास्ता चाहा है मौका स्थिति अनुसार निकटतम रास्ता ख0नं0 360 में जाने हेतु ख0नं0 358 गै.मु. रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है ख0नं0 360 व 358 के बीच ख0नं0 359 कमला देवी वगैरह के खातेदारी दर्ज है अतः ख0नं0 360 में जाने हेतु ख0नं0 359 रकबा 4.05 है0 में से 104 X 4 वर्ग मीटर = 416 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित रास्ते में बनती है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस पर आपत्ति व्यक्त कर उक्त भूमि में ख0न0 314 में से पहले ही कोई रास्ता उपलब्ध होना बताया। इस पर न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2020/564 दिनांक 12.10.2020 द्वारा तहसीलदार सोजत से पुनः जांच कर ख0न0 360 में से जाने हेतु पहले से कोई रास्ता है या नही के सम्बन्ध में पुन जांच रिपोर्ट चाही गई, जिसके जबाब में भू0अ0निरी0 सोजत रोड द्वारा तहसीलदार, सोजत के मार्फत पुनः जांच के आदेश की पालना में मौका रिपोर्ट पेश कर अंकित किया है कि ख0न0 314 राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज है जिसमें मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नही चल रहा है व खसरा नंबर 360 में जाने हेतु पहले से किसी भी प्रकार का रास्ता नही है। पूर्व में ख0न0 360 में जाने हेतु रास्ते का प्रस्ताव ख0न0 359 में से भेजा क्योकि उसकी दूरी राजस्व रेकर्ड में दर्ज ख0न0 358 गै0मु0 रास्ता से निम्नतम दूरी पर स्थित है। उक्त प्रस्तावित भूमि की वर्तमान प्रचलित अधिकतम डी0एल0सी0 दर 5859 रूपये प्रति ऐयर है। जो दिये जाने से तहसीलदार सोजत (लैण्ड होल्डर) ने कोई आपति होना व्यक्त नही किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उभयपक्षों को सुना तथा रेकर्ड का अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित होता है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 359 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा अप्रार्थी को अधिकतम असिंचित कृषि भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर की दौ गुणा भूमि प्रतिकर की राशि भुगतान करवाई जाकर रास्ते की भूमि उपलब्ध करवाये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया, पटवार हल्का आलावास भू0अ0नि0 सोजतरोड़, तह0 सोजत, जिला पाली के खसरा नम्बर 360 रकबा 2.2200 हैक्टर की कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं रहवास उपयोग, उपभोग तथा आवागमन हेतु **ख0नं0 359 रकबा 4.05 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल (असिंचित) में से 104 X 4 वर्ग मीटर = 416 वर्ग मीटर रास्ता** दिया जाता है। जिसकी डी.एल.सी. की अधिकतम दर 5859 रूपये प्रति एयर की 2 गुणा **104 X 4 वर्ग मीटर = 416 वर्ग मीटर अर्थात (04.16 ऐयर x 5859 रू0 प्रति एयर x 2 = 48746.88** रूपये) अप्रार्थी को प्रतिकर के रूप मे भुगतान करवाया जाकर रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध करवाये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/राजस्व नक्शा में तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगी। उक्त निर्णय की प्रति तहरीर के साथ भिजवाई जाकर पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2020 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner